पं0 दीन दयाल उपाध्याय
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
राजाजीपुरम, लखनऊ–226017
नैक द्वारा मूल्यांकित एवं प्रत्यायित ग्रेड 'बी' दिनांक 08.01.2011

पत्रांकः मेमो /2026–27 दिनांकः 03/09/2026

घोषणा

तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है। इसे दुनियॉ भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य समुदाय द्वारा एक खतरे के रूप में घोषित किया गया है और यह वैश्विक स्तर पर रोके जा सकने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। सभी रूपों में तम्बाकू का उपयोग न केवल इसके उपभोक्ताओं और उनके परिवारों के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, बल्कि उन सभी लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है जो खेती से लेकर इसके प्रसंस्करण में शामिल लोगों तक इसकी आपूर्ति श्रृंखला में शामिल है। इसकी लत लगने की सम्भावना बहुत अधिक है और लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। तम्बाकू उद्योग ऐतिहासिक रूप से तम्बाकू नियंत्रण नीतियों को आकार देने और प्रभावित करने के लिए कई तरह की तरकीबें अपनाता है। उद्योग अपने लॉबिंग और मार्केटिंग तंत्र का उपयोग वैज्ञानिक अनुसांधन को बदनाम करने और सरकारों को अपने घातक उत्पाद की बिक्री और वितरण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावित करने के लिए करता है। इसके अलावा, उद्योग कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) की आड़ में दुनियाभर में अनुसंधान और सामाजिक कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर परोपकारी योगदान देना जारी रखता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 7 जुलाई, 2020 को अपने सभी कर्मचारियों, संस्थानों, विभागों, संगठनों, ठेकेदारों और एजेंटों के लिए एक आचार संहिता जारी की, ताकि उद्योग के हस्तक्षेप और हितों के टकराव को रोका जा सकें, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO & FCTC) अनुच्छेड़ 5.3 दायित्व के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जैसा कि WHO & FCTC के अनुच्छेद 5.3 में निहित है, सार्वजनिक स्वास्थ्य हितों और तंबाकू उद्योग के हितों के बीच एक मौलिक और अपरिवर्तनीय संघर्ष है। एक संस्था/ संगठन के रूप में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।

संस्था का नाम, पं0दीन दयाल उपाध्याय, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश तंबाकू उद्योग और इसके हितों को बढ़ाने वालों के साथ संलग्न नहीं है। हस सभी रूपों में तंबाकू और अन्य नशीलें पदार्थो के उपयोग का विरोध करने और तंबाकू उद्योग की चालों को उजागर करने का प्रयास करते है। हमारी संस्था/संगठन तंबाकू उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित और/या संलग्न किसी भी इकाई के साथ साझेदारी नहीं करती है तथा हम तंबाकू उद्योग से किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग स्वीकार नहीं करते है और न ही करेंगे, न ही नकद रूप में और न ही वस्तु के रूप में।

3/9/26.

प्रो0 (शिवानी श्रीवास्तव)
प्राचार्य